



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27237

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 4397/2026

समीर

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी पार्टी(यों)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मनीष कुमार सिंह, विवेका नन्द मौर्य

विपक्षी पार्टी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. श्री रवि रतन, विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में मुखबिर की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे यह निवेदन करते हैं कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, पीड़िता बालिग है, जिसे केस डायरी के पर्चे में लिखित रूप में दर्ज किया गया है; इसकी एक प्रति जमानत याचिका के साथ संलग्न शपथ पत्र के अनुबंध- 7 के रूप में नत्थी की गई है। विद्वान अधिवक्ता आगे यह निवेदन करते हैं कि पीड़िता आवेदक के साथ अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से गई थी। वह आगे यह निवेदन करते हैं कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान के अनुसार अभियोजन पक्ष

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के कथन का समर्थन नहीं किया है। वह आगे यह निवेदन करते हैं कि इस तथ्य के अलावा कि पीड़िता एक सहमति देने वाली पक्ष है, पीड़िता ने चिकित्सा परीक्षण करवाने से भी इनकार कर दिया है और इसलिए, आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध बनता ही नहीं है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की झूठाई को साबित करने के लिए कई अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वे परिस्थितियाँ, जिनके कारण-अधिवक्ता के अनुसार-आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, वह पूरी निष्ठा के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; साथ ही वह उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जिन्हें न्यायालय उस पर लगाना उचित समझेगा। वह आगे यह निवेदन करते हैं कि आवेदक 12.12.2024 से जेल में बंद है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए.ने आवेदक की ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही का फैसला मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता; इसलिए, वह किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग करेगा। हालाँकि, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं किया।

4. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, ज़मानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक **समीर**, जो केस क्राइम संख्या 173/2024 में धारा 363, 376 आई.पी.सी. और पाँक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपी है (पुलिस थाना नागरा, जिला बलिया), को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और समान राशि के दो स्थानीय ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए:

i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को न तो धमकाएगा और न ही परेशान करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध जैसा कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि वह उस व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों को उजागर करने से रोक सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।
6. ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"